



कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/2013
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 11/जुलाई/2017

✓ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार सिलकझोडी से गीदम तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम बड़ेकाकलूर, पटवारी हल्का नंबर 08, राजस्व निरीक्षक मण्डल बास्तानार, तहसील बास्तानार की निजी भूमि रकबा 0.74 हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के नियम 24 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट कलेक्टर बस्तर के वेबसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

प्रा.रूप -- तीन
सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
(नियम 23 देखिये)

ग्राम -- देहू-वठोकर रा.नि.मं०-बास्तानार, तहसील -- बास्तानार, जिला -- बस्तर छठगढ़ वर्ष 2016-17

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण :-

(क) कुल जनसंख्या	(एक) पुरुष	- 2008	(दो) महिला	- 2814
(ख) बच्चों की संख्या	(एक) पुरुष	- 810	(दो) महिला	- 1005
(ग) जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा.	- 4228	(दो) अ.जा.	- 43
	(तीन) अ.पि.व.	- 51	(चार) अन्य	-
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू	- 4322	(दो) मुस्लिम	-
	(तीन) सिक्ख	-	(चार) ईसाई	-
	(पांच) बौद्ध	-	(छ) अन्य	-
				निरंक

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या

- 334 -

3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या

- 19 -

4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या

- 118 -

5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या

- रु० 1276 + म० 1654 = 2930

6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

- - -

7. प्रशासनिक संगठन

- - -

8. राजनीतिक संगठन

- - -

9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य

- - -

10. भूमि का उपयोग :-

(एक) कृषि भूमि

कुल भूमि 2124.94

(दो) पड़त भूमि

300.51

(तीन) सिंचित एक फसली भूमि
(चार) सिंचित दुफसली भूमि
(पांच) असिंचित भूमि

11 जोत का आकार :-

(एक) लघु कृषकों की संख्या
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या
(तीन) कुल खातों की संख्या
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या

(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)

12 पशुधन :-

(एक) पशुधन की संख्या

(दो) दुधारु पशुधन की संख्या

13 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार

14 पचापन

15 रोजंगार में महिलाओं की भागीदारी

16 खाद्य सुरक्षा

17 अन्य स्थानीय रोजगार

18 मजदूरी दर

19 अङ्ग तत्त्व पट्टे

20 परिवहन एवं सड़क

21
सिंघाई

निरंक

11

1764-80

41.4

76

697

!

चरित्र

2005 गिरफ

499 निरंक

ਪੰਨਾ

निरंक

11

32 Philip

11

11

11

17

11

22 बाजार तक पहुँच	—	—
23 पर्यटन स्थल	—	प्रभावित नहीं होता
24 सहकारी संस्थाएँ	—	प्रभावित नहीं होता
25 रहन-सहन :-		

(एक) धारणाएँ, सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा	लागु नहीं होता
(दो) गृह	—
(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान	—
(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल	—
(पाँच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जल आपूर्ति, सीवरेंज सिस्टम-इत्यादि)	—
(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)	—
(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा	—

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1 भूमि जीविका और आय पर समाघात :-	लागु नहीं होता
(क) रोजगार के स्तर और प्रकार	—
(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके	—
(ग) आय के स्तर	—
(घ) खाद्य सुरक्षा	—
(ङ) जीवन निर्वाह का स्तर	—
(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण	—
(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच	—

2 भौतिक संसाधनों पर समाघात :-

- (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात
 (ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव
- 3 निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिता पर समाघात :-
- (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता
 (ख) गृह सुविधाओं की क्षमता
 (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव
 (घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली
 (ङ) निजी संपत्तियों जैसे बोरेल इत्यादि पर समाघात

4 स्वास्थ्य समाघात :-

- (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात
 (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात

5 सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात :-

- (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण
 (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन
 (ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन
 (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात
 (ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
 (च) विस्थापन का तनाव
 (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात

6 चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात :-

- (क) पूर्व-सन्निर्माण चरण
 (ख) सन्निर्माण चरण
 (ग) प्रवर्तन चरण

-	प्रश्न उपस्थित नहीं होता
-	"-
-	"-
-	प्रश्न उपस्थित नहीं होता
-	"-
-	"-
-	"-
-	लागु नहीं होता
-	"-
-	"-
-	"-
-	"-
-	"-
-	प्रश्न उपस्थित नहीं होता
-	"-
-	"-

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(ड.) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिह्नकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

अध्यक्ष

तहसीलदार
बास्तानार

सदस्य
सरपंच
ग्राम पंचायत
जिला बास्तानार

सदस्य

डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा
सहायक प्राध्यापक बस्तर
विश्वविद्यालय जगदलपुर

सदस्य

श्री सुखराम सिंह कच्छ
समाज सेवक
ग्राम बडे आरापुर
तह.तोकपाल

सदस्य

श्री अरुण कुमार महाराणा
कार्यपालक अभियंता (मिनिम)
पुर्व स्टेशन रोड जगदलपुर
Executive Engineer (Cons-II)
Railway, Jagdalour

तहसीलदार
बास्तानार

प्ररूप - चार

नियम 23(9) देखिये

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय-वस्तु की सारिणी

अध्याय	विषय-वस्तु	
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजना (ख) स्थान (ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता (घ) अनुकल्पों पर विचार (ङ) सामाजिक समाघात (च) कमी करने के उपाय (छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण जिससे शिक्षा व्यापार एवं कृषि में वृद्धि	- छो काका - - - - कोई नहीं है - न्यूनतम है मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जगदलपुर पहुँच
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना के पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित (ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजना के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित (ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा (घ) अनुकल्पों की परीक्षा (ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियाँ और सुविधाओं का आकार और प्रकार (छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता (ज) कार्यबल अपेक्षाएँ (अस्थाई और स्थाई) (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	- - उपयुक्त है - जोखिम नहीं - - लगभग पूर्ण - - नहीं - -

	(ज) लागू किए गए विधान और नीतियाँ ।	-
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल की सभी सदस्यों की अहता सहित सूची, दल लिङ्ग विशेषज्ञों सहित (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचनार् संग्रहन के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलधारा तथा साधन (ग) नमूनार प्रणाली का उपयोग (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (वस्तुतः निदेशों को पृथक् रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें) (ड.) प्रमुख ढणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्विवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)	- पृथक् से संलग्न - स्थल निरीक्षण द्वारा - आवश्यक नहीं - सहमति पत्र संलग्न
भूमि अवधारणा	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्णन करें (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है, का उपयोग (ड.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशवित उपयोग (व) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में हुए परिवर्तन	- - - - - - - - - असिंचित, कृषि एक फसल - H.O सेवाभूमि H.O दे देखें

	पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग	
प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन)	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है— (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है) (एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है (दो) अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है (तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी (चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है (पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं (छ) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका	— तीन — — कोई नहीं — — एक सेवा भूमि — नहीं — नहीं — नहीं
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौसा (ख) आय एवं गरीबी स्तर (ग) दुर्बल समूह (घ) भूमि उपयोग और जीविका (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	— — — — कृषि एवं कृषि मजदूरी — मतस्य आखेट एवं वनोपज संग्रह — — जनजातिय पारिवारिक व्यवस्था

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमती/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	सुको पिता चुले वगै.
2	पति/पत्नी का नाम	—
3	पिता/माता का नाम	चुला
4	पता	बड़े काकलूर
5	ग्राम/बस्ती	बड़े काकलूर
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	बड़े काकलूर
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	पायको पति सुको 47 लक्ष्मण पिता सुको 26 बुधरी पति लक्ष्मण 24 संजु पिता लक्ष्मण 02 समलो पिता लक्ष्मण 06 41E
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	4.73 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.07 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 533
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 533
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	—
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	—
16	कोई अन्य अधिकार, अभिघृति सहित, यदि कोई हो	—
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में मैं निम्न लिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	(हां) नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	☒ हां	☐ नहीं
---	--------------------------------------	----------------------------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	☐ हां	☒ नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	☒ हां	☐ नहीं

	31. निम्नलिखित - प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
18 पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।		

	हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर	
--	---	--

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिए)

भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	सन्नु पिला श्रीमा वगै.
2	पति/पत्नी का नाम	- -
3	पिता/माता का नाम	श्रीमा
4	पता	छडे काकमूर
5	ग्राम/बस्ती	छडे काकमूर
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	छडे काकमूर
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)	शोमडी पति सन्नु 32 गुडडी पिला सन्नु 12 छडे पिला श्रीमा 34 मंगली पति छडे 31 सुखराम पिला छडे 11
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	2.59 हे०
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.25 हे०
12	प्लॉट नं.	ख.न. 649
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.न. 649
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाए)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हाँ नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	(हां)	नहीं
---	-------	------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हां	(नहीं)
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	(हां)	नहीं

	अ. नि. स. नं. प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।	

हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदस्थित
जिला पदधारी के हस्ताक्षर

तहसीलदार
बास्तानार

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमती/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	मइडा-पिता-मोंडा वगै. पुगनी पति मइडा
2	पति/पत्नी का नाम	- मइडा
3	पिता/माता का नाम	मोंडा
4	पता	बड़े काकलूर
5	ग्राम/बस्ती	बड़े काकलूर
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	बड़े काकलूर
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	दीप - अगले पृष्ठ पर देखिये
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	2.06 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.12 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 639
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 639
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिघृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में मैं निम्न लिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हाँ नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझ दिया गया है।	☒ हाँ	☐ नहीं
--	--------------------------------------	----------------------------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	☐ हाँ	☒ नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	☒ हाँ	☐ नहीं

		अ. नि. ५२१/११
		प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।	
		हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमती/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	बुधू पिता मंगलू वगै. - छोरी पति बुधू
2	पति/पत्नी का नाम	बुधू
3	पिता/माता का नाम	मंगलू
4	पता	बड़े काकलूर
5	ग्राम/बस्ती	बड़े काकलूर
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	बड़े काकलूर
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	दीप:- झगड़े पक्ष पर देखें
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.12 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.04 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 561
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 561
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिघृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में मैं निम्न लिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएँ)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे	हाँ नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हाँ	नहीं
---	-----	------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हाँ	नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं

	अ. नि. दे. श. प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
13. पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।		
	हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदभिहित जिला पदधारी के तहसीलदार बास्तानाट	

प्रश्न-६

सं. क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
७	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तियों सहित)	बामन पिता बुधू 39 कोसी पति बामन 37 लक्ष्मी पिता बामन 12 दशो पिता बामन 4 लालूराम पिता बामन 2 सोमडी पिता बुधू 34 सुखराम पिता बुधू 28 मिट्ठी पति सुखराम 24 सोनाराम पिता सुखराम 3 मट्टा पिता बुधू 27 भव्वा पति मट्टा 23 मनोज पिता मट्टा 4 मोयो पिता बुधू 26

पञ्च-दो

स. क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
१	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चे और अग्रजित वारको सहित)	पण्डु पिता सुको 22 पालो पिता सुको 27 पारको पिता सुको 24 जोगा पिता सुको 32 सुकाळ पति जोगा 30 रिना पिता जोगा 8 कुश्मा पिता जोगा 6 मानदा पिता जोगा 2

प्ररूप - दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमती/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	मु. बागी बेवा सुको वगै
2	पति/पत्नी का नाम	-
3	पिता/माता का नाम	सुको
4	पता	बड़े काकलूर
5	ग्राम/बस्ती	बड़े काकलूर
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	बड़े काकलूर
7	तहसील/तालुका	बास्तानार
8	जिला	बस्तर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	द/प:- डनगले एच एल टैसे
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.31 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.07 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 607
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 607
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिघृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में मैं निम्न लिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएँ)	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे	हाँ नहीं

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हाँ	नहीं
---	-----	------

(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हाँ	नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं

		अ.म.प.प.प. प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख
--	--	---

18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।	
----	--	--

		हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर तहसीलदार बास्तानार
--	--	---